22

संख्या– / XXVIII–5–2012–23 / 2006

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांक, 31 दिसम्बर,2012

विषयः जिला चिकित्सालय हरिद्वार के अन्तर्गत ट्रांजिट हास्टल के पुनरीक्षण प्राक्कलन की स्वीकृति विषयक।

महादय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–124 / XXVIII–5 / 2006–23 / 2006, दिनांक 06.03.2006 तथा आपके पत्र सं0–7प / 1 / आवासीय भवन / 20 / 2005 / 38214, दिनांक 08.11.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय जिला चिकित्सालय हरिद्वार के अन्तर्गत ट्रांजिट हास्टल के निर्माणाधीन कार्यो हेतु मूल लागत ₹55.10 लाख के सापेक्ष गठित पुनरीक्षित आगणन ₹71.10 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹66.14 लाख (रूपये छासठ लाख चौदह हजार मात्र) पर प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में अवमुक्त ₹55.10 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2012–13 में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹11.04 लाख (रूपये ग्यारह लाख चार हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए, निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, हरिद्वार को उपलब्ध करायी जायेगी। अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वर्ष में करते हुए सम्पूर्ण अवशेष कार्यो को स्वीकृत पुनरीक्षण लागत में ही पूर्ण करते हुए भवन विभाग को इसी वित्तीय वर्ष में हस्तगत कर दिया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानो में मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नही हैं। अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

4– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाये।

5– कार्य करने एवं सामग्री कय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का कडाई से पालन किया जाय ।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

NIC

7— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

8— कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

9— स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19.06.2012 एवं शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में इंगित निर्देशों एवं उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश में इंगित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

10— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0–2047/xiv–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

11— कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

12— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय–व्यय 2012–13 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 14 आवासीय भवनों की व्यवस्था–00 आयोजनागत,24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जोयगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–169(P) /XXVII(3)/1012-13 दिनांक 26.12.2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः–सॉफ्टवेयर आवंटन की प्रति।

भवदीय,

/

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या– 1535(1)XXVIII–5–2012–23/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4— स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5— वित्त नियंत्रक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,उत्तराखण्ड।
6— मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
8— परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, हरिद्वार।
9— बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव